



SPREE 2025

एक सुरक्षित कार्यबला।

एक मजबूत व्यवसाय।

नियोजकों के लिए मन की शांति, कर्मचारियों के लिए सुरक्षा।

विशेष पंजीकरण विंडो

1 जुलाई 2025 - 31 दिसंबर 2025

अधिक जानने के लिए <https://www.esic.gov.in> देखें

या अपने निकटतम शाखा कार्यालय/उप क्षेत्रीय
कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें।

टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-11-2526



क.रा.बी.नि.
ESIC



SPREE 2025 क्या है?

SPREE 2025 ESIC द्वारा एक-बार की विशेष पहल है जो गैर-पंजीकृत नियोजकों और उन लोगों को स्व-पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करती है जिन्होंने ESIC के साथ सभी पात्र कर्मचारियों को पंजीकृत नहीं किया है।

अवधि: 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025

उद्देश्य: पिछली अवधि के लिए बिना किसी अंशदान, दंड और कानूनी कार्रवाई के क.रा.बी. अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना।

कौन लाभान्वित हो सकता है?

नियोजक:

- कारखानों या प्रतिष्ठानों (दुकानों, होटलों और रेस्तरां, सिनेमा हॉल, सड़क परिवहन प्रतिष्ठानों, समाचार पत्र प्रतिष्ठानों, निजी चिकित्सा संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों और नगर निगमों के आकस्मिक कर्मचारियों सहित) जिनके पास ESIC-लागू क्षेत्रों में 10 या अधिक व्यक्ति हैं।
- जिन्होंने अभी तक सभी पात्र कर्मचारियों को पंजीकृत नहीं किया है।

पंजीकरण कैसे करें?

वेबसाइट www.esic.gov.in देखें।

अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें :-

https://portal.esic.gov.in/ESICInsurance1/ESICInsurancePortal/Employer_Employee_Registration_through_portal.pdf

श्रम सुविधा पोर्टल: <https://registration.shramsuvidha.gov.in/user/register>

MCA पोर्टल: www.mca.gov.in

नियोजकों के लिए मुख्य लाभ:

परेशानी-मुक्त पंजीकरण प्रक्रिया।

- ESI Portal, Shram Suvidha या MCA के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण।
- पिछली अवधि के अंशदान की कोई मांग नहीं और कोई दंड नहीं।
- पिछली अवधि का निरीक्षण और कोई भी रिकॉर्ड दिखाने की कोई आवश्यक नहीं।
- पिछली अवधि के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं।

कर्मचारी:

- पंजीकरण की तारीख से ईएसआई अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा हितलाभों का लाभ उठाएं।
- चिकित्सा देखभाल- स्वयं और परिवार के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक चिकित्सा लाभ।
- रोजगार के दौरान बीमारी, मातृत्व और चोट या मृत्यु के लिए नकद लाभ।
- बीमाकृत व्यक्ति योजना के वार्ड के तहत क.रा.बी निगम चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में सीटों का आरक्षण।

कवरेज की तारीख

नियोजक का कवरेज नियोजक द्वारा निर्दिष्ट तारीख से शुरू होगा।

अवसर न छूकें:-

अपने और अपने परिवारों की शांति और एक सुरक्षित और संरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए आज ही पंजीकरण करें।



क.रा.बी.नि.
ESIC

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार),
उप क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा
ब्लॉक B, सेक्टर 57, नोएडा
उत्तर प्रदेश – 201301
टोल-फ्री नंबर : 1800-11-2526

FOLLOW US ON



(Scan QR Code)